



POLICE COMMISSIONERATE



PRAYAGRAJ

सराहनीय कार्य / प्रेस विज्ञप्ति- दिनांक 29.08.2026

थाना हण्डिया पुलिस टीम द्वारा 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार,
कब्जे/निशांदादेही से घटना में प्रयुक्त 01 लोहे की रॉड, 01 चाकू, तथा सफेद
पाउडर व काला पदार्थ(विषाक्त) बरामद

घटना का संक्षिप्त विवरण-

थाना हण्डिया क्षेत्रांतर्गत ग्राम बनपुरवा (सरायपीथा) निवासिनी ज्ञान देवी पत्नी स्व० सुशील कुमार द्वारा थाना हण्डिया पर सूचना दी गई कि दिनांक-03.07.2026 को उनके पति सुशील कुमार की मृत्यु होने के बाद से ही उनके जेठ दारा सिंह उर्फ सुनील कुमार द्वारा लगातार उन्हें प्रताड़ित कर मारपीट किया जा रहा था, तथा दिनांक-29.08.2026 को दारा सिंह उर्फ सुनील कुमार द्वारा मुकदमा वादिनी का गला दबाकर जान से मारने का प्रयास किया गया। बीच-बचाव करने आयी मुकदमा वादिनी की जेठानी को भी दारा सिंह उर्फ सुनील कुमार द्वारा जान से मारने की नियत से लोहे की रॉड से हमला करते हुए गला दबाया गया जिससे वह बेहोश हो गई। पत्नी को मृत समझकर अभियुक्त ने घर में रखे चाकू से स्वयं को चोटिल कर लिया। पीड़िता के अनुसार अभियुक्त ने परिजनों को नुकसान पहुँचाने की नियत से घर में जहरीला पदार्थ भी छिपाकर रखा है। प्रकरण के सम्बन्ध में मुकदमा वादिनी द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर दिनांक 29.08.2026 को थाना हण्डिया पर मु०अ०सं०-461/2026 धारा-115(2)/109(2) पंजीकृत किया गया।

पुलिस की कार्यवाही-

श्रीमान् पुलिस आयुक्त महोदय व अपर पुलिस आयुक्त के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान् पुलिस उपायुक्त गंगानगर व अपर पुलिस उपायुक्त गंगानगर के कुशल पर्यवेक्षण में व सहायक पुलिस आयुक्त हण्डिया के कुशल नेतृत्व में गंगानगर-जोन के थाना हण्डिया पर पंजीकृत मु0अ0सं0-461/26 धारा-115(2)/109(1) भा0न्या0सं0 से सम्बंधित वांछित अभियुक्त सुनील कुमार गौतम उर्फ दारा पुत्र स्व0 इन्द्रजीत गौतम निवासी ग्राम बनपुरवा सरायपीथा थाना हण्डिया कमिश्नरेट प्रयागराज को थाना हण्डिया पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक-30.08.2026 थाना हण्डिया क्षेत्रान्तर्गत धनूपुर ब्लाक के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त सुनील कुमार गौतम उर्फ दारा उपरोक्त के कब्जे/निशांदाही से घटना में प्रयुक्त 01 लोहे की रॉड, 01 चाकू तथा सफेद पाउडर व काला पदार्थ बरामद करते हुए नियमानुसार विधिक कार्यवाही की गयी।

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्त दारा सिंह उर्फ सुनील कुमार उपरोक्त से पूछताछ पर यह तथ्य प्रकाश में आया कि अभियुक्त दारा सिंह के भाई सुशील की मृत्यु के पश्चात आर्थिक सहायता में मिले पैसे अभियुक्त दारा सिंह उपरोक्त की मम्मी को मिले थे, उन पैसों में से सुशील (मृतक) की पत्नी ज्ञानवती भी मांग रही थी, लेकिन दारा और उनकी माँ, ज्ञानवती को पैसा देना नहीं चाह रही थी। अभियुक्त दारा की पत्नी रीता भी यही चाह रही थी कि उन पैसों में से ज्ञानवती को भी पैसे दिए जाएं, इस बात को लेकर दारा का अपने पत्नी रीता से अक्सर विवाद होता रहता था। इस बात से तंग आकर अभियुक्त दारा सिंह उपरोक्त ने पत्नी व मृतक सुशील की पत्नी को मारकर स्वयं को जान से मारने की योजना बना डाली। इस हेतु उसने पहले से ही घर में जहर, चाकू और लोहे की रॉड लाकर छिपा रखी थी। घटना के समय अभियुक्त घर पर मौजूद था और उसका अपनी देवरानी ज्ञानवती देवी (मुकदमा वादिनी) से विवाद शुरू हो गया। गुस्से में आकर अभियुक्त ने देवरानी ज्ञानवती देवी के साथ मारपीट की और उसका गला दबाने लगा तभी बीच-बचाव करने आई पत्नी रीता देवी को अभियुक्त ने गुस्से में आकर दीवार से टकरा दिया, और उसका गला दबाकर जान से मारने की कोशिश किया जिससे वह नीचे गिर गई। इसके बाद अभियुक्त कमरे में पहले से

छिपाकर रखा हुआ चाकू और लोहे की रॉड लाकर पत्नी रीता देवी पर वार कर दिया, जिससे वह बेहोश को गई इस पर अभियुक्त दारा सिंह उपरोक्त घबरा गया और उसी चाकू से स्वयं को चोटिल कर लिया तथा घटना के बाद चाकू और लोहे की रॉड को अपने कमरे में छिपाकर मौके से फरार हो गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

सुनील कुमार गौतम उर्फ दारा पुत्र स्व० इन्द्रजीत गौतम निवासी ग्राम बनपुरवा सरायपीथा थाना हण्डिया कमिश्नरेट प्रयागराज, उम्र करीब 36 वर्ष ।

सम्बंधित अभियोग का विवरण-

मु०अ०सं०-461/26 धारा-115(2)/109(1) भा०न्या०सं० थाना हण्डिया कमिश्नरेट प्रयागराज ।

बरामदगी का विवरण-

- * घटना में प्रयुक्त 01 चाकू घटना ।
- * घटना में प्रयुक्त 01 लोहे का राड ।
- * सफेद पाउडर व काला पदार्थ (विषाक्त) ।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक अनूप सरोज, थाना हण्डिया कमिश्नरेट प्रयागराज ।
2. उ०नि० आशुतोष कुमार, थाना हण्डिया कमिश्नरेट प्रयागराज ।
3. उ०नि० रामानुज सिंह, थाना हण्डिया कमिश्नरेट प्रयागराज ।
4. उ०नि० अम्बुज कुमार, थाना हण्डिया कमिश्नरेट प्रयागराज ।
5. का० कुंदन सिंह, थाना हण्डिया कमिश्नरेट प्रयागराज ।
6. का० इन्द्रजीत यादव, थाना हण्डिया कमिश्नरेट प्रयागराज ।